न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 07/2021

अपीलान्टस	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
श्रीमती वीनागौड तत0 पटवारी सालवा कला, हाल– पटवारी भाटेलाई पुरोहितान, तहसील बालेसर जिला जोधपुर।		जिला कलेक्टर (भू0अ0) जोधपुर।

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम, 1958 के तहत दिनांक 03.12.2020 को जिला कलेक्टर, (भू0अ0) जोधपुर द्वारा अपीलान्ट की तीन वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया गया।

निर्णय

दिनांकः जनवरी, 2022

1. अपीलान्ट के द्वारा यह विभागीय अपील जिला कलेक्टर पाली के आदेश दिनांक 03.12.2020 जिसके द्वारा अपीलान्ट की तीन वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने पर, उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष राज0 असैनिक सेवाये नियम,1958 के नियम 23 के तहत दिनांक 18.02.2021 को प्रस्तुत की गई है।
2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला कलेक्टर, जोधपुर से अपील पर उनकी बिन्दूवार टिप्पणी एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित मूल अभिलेख पत्रावली को तलब किया गया।
3. अपीलान्ट के विरूद्ध जिला कलेक्टर जोधपुर के पत्र दिनांक 03.12.2020 के द्वारा यह आरोप आरोपित किये गये किः––

> **आरोप संख्या एकः–**यह है कि ग्राम रामनगर पटवार मण्डल सालवा कलां तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 779/1 कुल रकबा 71.17 बीघा में राजस्व रेकर्ड में खातेदार सुमेरसिंह पिता मोतीसिंह सहखातेदार दर्ज है। सुमेरसिंह का फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज नहीं कर उसके वारिसान हनुमानसिंह रामसिंह भगवानसिंह पिता सुमेरसिंह, समन्दरकंवर पत्नी सुमेरसिंह व अन्य सहखातेदारों के मध्य बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर ना0 तहसीलदार जोधपुर के समक्ष पेश किया। बिना फौतेदगी का नामान्तरकरण दर्ज कर मृतक के वारिसान के नाम बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया गया। इस कृत्य के लिये आप दोषी है। आपका उक्त कृत्य निन्दनीय व दण्डनीय है।

आरोप संख्या दोः– यह है कि समर्पित भूमि खसरासंख्या 779/1 में से 0.10 बीघा सिवाय चक का बिना तरमीम किये उक्त खाते का विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। इस कृत्य के लिये आप दोषी है। आपका उक्त कृत्य निन्दनीय व दण्डनीय है।

4. जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा अपीलान्ट पटवारी की दिनांक 08.10.20 को व्यक्तिगत सुनवाई करने के उपरान्त प्रकरण में दोषी मानते हुए अपीलान्ट की तीन आगामी वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

5. अपीलान्ट के द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 29.12.2021 को व्यक्तिगत दौरान सुनवाई अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तथा लिखित में अपना पक्ष रखते हुए यह निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा अपनी सेवाएं निष्ठापूर्वक प्रदान की जा रही है किन्तु अपीलार्थी के विरूद्ध बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये विभागीय जॉच कार्यवाही सम्पादित की गई यानि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने की समुचित प्रक्रिया अपनाएं बिना ही अपीलार्थी को दोषी करार कर दिया गया और अनुशासनिक अधिकारी द्वारा बिना तथ्यों व विधिक पहलुओं पर ध्यान दिये बिना ही अपीलार्थी की 03 वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोक दी गईं। अपीलार्थी के प्रकरण में बिना प्रारम्भिक जॉच अमल में लाये ही आरोपपत्र जारी कर दिया जो बिना किसी आधार के विरचित किये गये और सत्यता से परे है। इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय द्वारा भी बिना किसी समुचित जवाब का अवसर प्रदान किये, बिना दस्तावेज उपलब्ध कराये ही जॉच अधिकारी नियुक्त कर दिया और जॉच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर ही और उसका विश्लेषण किये बिना ही अनुशासनिक अधिकारी द्वारा आदेश में यह अंकित करते हुए की अपीलार्थी द्वारा प्रत्युतर प्रस्तुत कर दिया, प्रत्युतर का विवेचन किये बिना ही अपीलार्थी का वृहद दण्ड से दण्डित कर दिया।

6. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा जो कार्य सम्पादित किया है उसमें त्रुटि कारित हुई है तो उक्त आदेश के विरूद्ध अपील किये जाने का प्रावधान निहित है। इसके अतिरिक्त बंटवाडा प्रस्ताव को अपीलार्थी द्वारा नहीं प्रस्तुत नहीं किया गया था बल्कि पक्षकारान के द्वारा ना0 तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और ना0 तहसीलदार द्वारा मार्क किया गया था। उक्त बंटवाडा प्रस्ताव के साथ आवेदक द्वारा अपनी बहने (विधिक वारिसान) द्वारा हक–त्याग किये जाने बाबत पंजीबद्ध हक त्यागपत्र प्रस्तुत की गई थी। जिससे भी आरोपपत्र में फौतेदगी नामा0 बिना बंटवारा प्रस्ताव का होना या ना होने का, कोई तार्किक महत्व नहीं है।

7. अपीलार्थी द्वारा दौरान सुनवाई लिखित में पक्ष रखते हुए उक्त अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही को दोहराते हुए यह भी कथन उल्लेखित किये कि प्रथम आरोप में आरोपित किये गये तथ्य पूर्ण रूप से असत्य है क्योंकि बंटवाडा प्रस्ताव स्वयं पक्षकारान के द्वारा ना0 तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया

था जिसमें खातेदार सुमेरसिंह फौत था उसके वारिसान व अन्य सहखातेदारान द्वारा अपनी सहमति प्रकट करते हुए पंजीबद्ध हकतर्कनामें को ध्यान में तैयार किया गया और ना0 तहसीलदार जोधपुर द्वारा उस पर टिप्पणी देने हेतु अपीलार्थीया को निर्देशित किया तब अपीलार्थीया द्वारा अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की जाने पर उनके द्वारा विरासत/हकत्याग का नामा0 विभाजन के नामा0 के साथ दायर किया जाने का बताया। तब उनके मौखिक निर्देशानसुार कि बंटवाडा प्रस्तावके अनुसार नामा0 में खाता दर्ज कर विरासत/हकत्याग व विभाजन का नामा0 एक साथ दायर करे, जिसकी मैने पालना करते हुए ही उक्त नामा0 दायर द्वारा किया गया एवं भू0 अ0 निरीक्षक द्वारा बाद जॉच तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त नामा0 को उक्तानुसार स्वीकार करने में कोई दुभार्वना नहीं थी और किसी पक्षकारान/खातेदार का हित प्रभावित हुआ है।

8. इसी प्रकार आरोप संख्या दो भी असत्य है क्योंकि समर्पित भूमि का अलग खाता नम्बर इसलिये दर्ज नहीं किया गया कि नामा0 संख्या 264 के द्वारा नया बटटा नम्बर 779/3 रकबा 0.10 बीघा समर्पित भूमि का अलग खाता दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी असत्य है कि समर्पित भूमि का उल्लेख बंटवारे में नहीं किया गया तथा राजस्व नक्शे में तरमीम किये बिना बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया क्योंकि समर्पित भूमि का बंटवारा प्रस्ताव के साथ नजरी नक्शा में स्पष्ट अंकन किया गया है तथा नामा0 संख्या 264 की पुश्त के पीछे नजरी नक्शा के अनुसार समर्पित भूमि दर्शाते हुए बंटवारे के प्रस्ताव में रिपोर्ट की गई। इसमें भी कोई भी तथ्य मेरे द्वारा नहीं छिपाया गया। उक्त नामा0 संख्या 264 दिनांक 08.08.14 को तत0 पटवारी द्वारा दायर किया। ख0सं0 779/1 रकबा 72.07 में ख0सं0 779/3 रकबा 0.10 बीघा भूमि का समर्पण हुआ लेकिन नक्शा लटठा में तरमीम नहीं की गई। उक्त स्थिति के सम्बन्ध में मुझ अपीलार्थीया के द्वारा अधिकारियों को स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया उसके उपरान्त भी बंटवाडा आदेश पारित कर मुझे नामा0 दायर करने हेतु आदेशित किया गया था जिसकी पालना में ही मेरे द्वारा की गई।

9. अपीलार्थीया द्वारा यह भी कथन किया गया विभागीय जॉच अधिकारी के द्वारा मुझे प्रार्थीया को नोटिस प्रेषित अवश्य किये गये परन्तु मुझ प्रार्थीया को तामील नहीं हुए जिनसे मै अपना प्रत्युतर उनके सक्षम समय पर प्रस्तुत नहीं कर सकी। विभागीय जॉच अधिकारी द्वारा भी प्रार्थीया के बिना प्रत्युतर लिये ही जिला कलेक्टर जोधपुर को अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर दी। अपीलार्थीया द्वारा जानकारी होने पर उक्त आरोपों के सम्बन्ध में अपना प्रत्युतर प्रस्तुत करने हेतु दस्तावेजों की नकले प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था। परन्तु जॉच अध्किाारी द्वारा अपीलार्थीया से बिना जवाब प्राप्त किये ही रिपोर्ट भेज दी गई और जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा भी इन तथ्यों पर गौर किये बिना ही एकपक्षीय फेसला सुना गया गया जबकि नियमानुसार अनुशासनिक अधिकारी के द्वारा मुझे प्रार्थीया से आरोपों के सम्बन्ध में विस्तृत जवाब प्राप्त करने के उपरान्त समुचित रूप से विचार कर ही आदेश पारित करना चाहिये था। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर

गौर करते हुए अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे एवं आरोपों से उन्मोचित किया जावें।

10. अपीलान्ट की अपील पर जिला कलेक्टर जोधपुर कार्यालय से प्राप्त टिप्पणी में यह उल्लेख किया गया कि ग्राम रामनगर पटवार हल्का सालवां कला भू0अ0निरीक्षक दईकडा, जोधपुर का सहखातेदार आपसी बंटवाडा ना0 तहसीलदार जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त बंटवाडा में पटवारी/भू0अ0निरीक्षक की अंकित टिप्पणी में पटवारी के हस्ताक्षर किये हुए है। उक्त बंटवाडा बाबत पटवारी व भू0अ0निरीक्षक द्वारा रिकार्ड के विपरित ना0 तहसीलदार जोधपुर के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार आवेदक सहखातेदार दर्ज है जबकि जमाबन्दी में खातेदार दर्ज नहीं थे। जबकि ना0 तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 29.12.16 के अन्तर्गत यह उल्लेख किया कि इस विभाजन पत्र में समस्त सहखातेदार ने मेरे समक्ष उपस्थित हुए एवं अपनी सहमति व्यक्त की है जो अनुचित है क्योंकि खातेदार सुमेरसिंह उपस्थित नहीं हुआ जो खाते में दर्ज खातेदार थे। इसके अतिरिक्त 0.10 बीघा सिवाय चक राज0 सरकार के नाम दर्ज थी। उक्त सम्पूर्ण भूमि का राजस्व नक्शें में तरमीम नहीं की गई थी न ही उक्त भूमि बाबत खसरा का अलग खाता दर्ज किया गया, परन्तु बंटवडा में सरकार भूमि बाबत कोई उल्लेख नहीं किया गया जबकि राज0 सरकार भी सहखातेदार दर्ज थी। राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 में सहअभिधारियेां के बीच करार द्वारा विभाजन किया जाता है। ख0सं0 779/1 खातेदार सुमेरसिंह, चेनसिंह पिता मोतीसिंह के नाम खातेदारी भूमि आई हुई थी तथा उसके वारिसान के नाम फौतेदगी नामा0 दर्ज नहीं किया जाकर उसके बावजूद भी पटवारी, भू0अ0निरीक्षक व ना0 तहसीलदार द्वारा राजस्व रेकार्ड में हेराफेरी कर बंटवाडा कर दिया जो भारी अनियमितता की गई है जो नियम विरूद्ध था। विभागीय जॉच अधिकारी के द्वारा अपीलार्थीया को अपना पक्ष रखने हेतु कई नोटिस जारी किये गये थे, अपीलार्थीया द्वारा भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दस्तावेजों की प्रतियॉ प्राप्त करने का अवसर चाहा जिसे दिया गया उसके उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब पेश नहीं किया। अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में समुचित अवसर प्रदान करते हुए व्यक्तिगत सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया गया है जो विधि सम्मत सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज योग्य है।

11. हमने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में उल्लेखित तथ्यों पर मनन किया तथा अपीलान्ट की अपील पर जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा प्रेषित टिप्पणी का अवलोकन किया। अपीलार्थीया के द्वारा यह अपील जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा दिनांक 03.12.2020 को अपीलान्ट के विरूद्ध पारित किये गये अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें उनके द्वारा मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि आरोपित आरोपों के सम्बन्ध में विभागीय जॉच अधिकारी के द्वारा जॉच कार्यवाही के दौरान उनकी ओर से जारी नोटिस उनको प्राप्त नहीं हुए और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने/प्रत्युतर प्रस्तुत करने का समुचित एवं विधि अनुरूप अवसर प्रदान किया गया हैं।

12. इसके अतिरिक्त अपीलार्थीया की अपील में अंकित तथ्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों तथा जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा अपीलान्ट की अपील पर प्रस्तुत टिप्पणी में अंकित तथ्य एक–दूसरे के विरोधाभासी प्रतीत होते है। जैसे कि बंटवाडा प्रस्ताव में अंकित भूमि के खसरा नम्बरान 779/1 की रकबा भूमि के आवेदकों में ना0 तहसीलदार जोधपुर के समक्ष सभी खातेदार यानि खातेदार सुमेरसिंह का उपस्थित नहीं होना, बंटवाडा प्रस्ताव पर पटवारी हल्का की तस्दीक होना, रिकार्ड के विपरित रिपोर्ट पेश की जाना, रकबा 0.10 बीघा भूमि सिवायचक राजस्थान सरकार दर्ज होना इत्यादि–इत्यादि।

13. इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर गहनतापूर्वक विचार/विश्लेषण करने के उपरान्त हमारे मत में अपीलार्थीया के प्रकरण में अपीलार्थीया/पटवारी पर आरोपित आरोपों की सक्षम जॉच अधिकारी से पुनः विस्तृत विभागीय जॉच कार्यवाही करवाने जिसमें अपीलार्थीया/पटवारी को अपना पक्ष/साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देने तथा उक्त अन्तिम जॉच प्रतिवेदन पर अपीलार्थीया से अभ्यावेदन प्राप्त करने के उपरान्त जिला कलेक्टर जोधपुर को विधि अनुरूप पुनः निर्णय लेने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित होगा।

14. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.12.2020 को निरस्त किया जाकर प्रकरण उपरोक्त ऑब्जर्वेशन अनुसार पुनः निर्णय लिये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय आज दिनांक जनवरी, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर